

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि, 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे० कुल भूमि 6.450 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 1971/111(2)/13-55 (प्रा०आ०)/2012 दिनांक 14/03/2013 के द्वारा 10.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रू० 125.80 लाख की प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 10.00 कि०मी० आती है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग के कि०मी० 25.00 (हे०मी० 4-6) से प्रारम्भ हो कर 10.00 कि०मी० लम्बाई में केदारकोट तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम- कण्डारा एवं कोट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल एवं वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1-सिविल वन भूमि	0.40 कि०मी० x 7 मी०	=	0.280 हे०
2-वन पंचायत भूमि	0.50 कि०मी० x 7 मी०	=	0.350 हे०
3-आरक्षित वन भूमि	7.60 कि०मी० x 7 मी०	=	5.320 हे०
4- नाप भूमि	1.50 कि०मी० कि०मी० x 7 मी०	=	1.050 हे०
5-मक डिस्पोजल हेतु		=	0.500 हे०
योग		=	7.500 हे० ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.280 हे०, सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि, 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल 0.500 हे० कुल 6.450 हे० वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर